

## कार्ययोजना

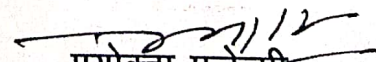
परियोजना का नाम:—आरक्षित वन क्षेत्र के नदी तल कोसी दाबका भाग-2 से उप  
खनिज चुगान निकासी के सम्बन्ध में:—

तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर में जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत प्रवाहित होने वाली कोसी एवं दाबका भाग-02 नदी के 150.00 है० चुगान क्षेत्र में उपखनिज चुगान कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद के अन्तर्गत कोसी एवं दाबका नदियों के संगम स्थल पर अवस्थित है। वर्षाकाल में कोसी एवं दाबका नदियों में प्रतिवर्ष भारी मात्रा में वर्षा में उपखनिज बहकर इस क्षेत्र में एकत्रित होता रहता है। उपखनिज निकासी न हो पाने से नदी तल ऊंचा हो चुका है, जिससे वर्षाकाल में समीपवर्ती वन भूमि एवं स्थानीय ग्रामवासियों की कृषि योग्य भूमि का कटाव बढ़ रहा है व वनों की क्षति हो रही है। समीपवर्ती ग्रामीणों की जमीनों में भी भू-कटाव का खतरा बना हुआ है।

उक्त क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज निर्माण कार्य हेतु भू-तत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून की पत्र सं०-1207/खनन-व०वि०नि०/आषय पत्र/ भू०त०खनि०इ०/2019-20 दिनांक 31.12.2019 के आशय पत्र के अनुसार उक्त क्षेत्र के 150.00 है० क्षेत्र में 2,53,000.00 टन उपखनिज निकाला जाना प्रस्तावित है। जिसकी आपूर्ति निर्माण कार्यों हेतु विभिन्न शहरों को क्रेशरों के माध्यम से की जाती है। प्रस्तावित है जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी। उक्त चुगान कार्य में लगभग 2410 श्रमिक नियोजित होंगे साथ ही प्रबन्धन हेतु लगभग 90 कर्मचारित नियोजित होंगे उक्त संख्या आवश्यकतानुसार घट बढ़ सकती है। समीपवर्ती क्रेशरों में नियोजित श्रमिक भी इस कार्य से लाभान्वित होंगे। उपखनिज का चुगान व परिवहन तथा इस पर आधारित उद्योग (क्रेशर आदि) में प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 3000 से भी अधिक श्रमिक नियोजित होंगे तथा इस क्षेत्र के स्वामित्व वन विभाग का अभिवहन शुल्क/व्यापार कर/आयकर आदि मद में राजस्व उपलब्ध होगा जिससे सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की घटनायें भी समय-समय पर प्रकाश में आती हैं। यदि उक्त चुगान क्षेत्र को उपखनिज निकासी हेतु खोल दिया जाये तो इस क्षेत्र में अवैध खनन की घटनाओं पर भी विराम लगेगा तथा व्यक्ति विशेष सीधे चुगान कार्य से जुड़कर लाभान्वित होंगे व शासन के राजस्व में वृद्धि होगी।

अतः उक्त क्षेत्र 150.00 है० उपखनिज चुगान क्षेत्र के दोनों तरफ आधे क्षेत्र को छोड़कर 0.75 है० क्षेत्रफल में उपखनिज निकासी का प्रस्ताव तैयार कर शासन को इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि नदी के किनारे भू-क्षरण को रोकने व जल प्रवाह को नियंत्रित रखने की दिशा में नदी के तलहटी में जमा उपखनिजों की निकासी किया जाना मानवीय हित में राजस्व वृद्धि के साथ-साथ पर्यावरणीय एवं प्राविधिक दृष्टिकोण से नितान्त आवश्यक होगा।

  
प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रभागीय प्रबन्धक खनन  
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,  
रामनगर (नैनीताल)